—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 7/2025

उनवान

मोहनलाल पुत्र गोपीचन्द जाति जाट निवासी ग्राम देराठू, नसीराबाद, अजमेर
—— प्रार्थी :— जरियें अधिक्ता श्री रवि चौधरी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
—— अप्रार्थी :— जरियें जरियें राज. पैरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

दिनांक :—29/8/25

—: आदेश :—

अधिवक्ता प्रार्थी ने उत आवेदन पेश कर निवेदन किया कि ग्राम देराठू के हाल खसरा नम्बर 8524/6381 की आराजी प्रार्थी की खातेदारी की है। प्रार्थी अपनी खातेदारी आराजी पर आवागमन हेतु खसरा नम्बर 5266 गै.मु. सडक से खसरा नम्बर 5269, 6383 व 6382 का उपयोग करते है। उक्त आराजी सिवासचक व चरागाह है। उक्त आराजी में से आवागमन हेतु प्रार्थी के पास एकमात्र रास्ता है। अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नही है। अतः प्रार्थी को उक्त आराजी में से 30 फिट चौडा रास्ता दिलवाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार नसीराबाद से मौका रिपोर्ट तलब की गयी।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। ग्राम देराठू के हाल खसरा नम्बर 8524/6381 रकबा 1.63 की आराजी प्रार्थी की खातेदारी की है। हाल खसरा नम्बर 5266 रकबा 1.49 गै.मु. सडक है। हाल खसरा नम्बर 6383 व 6382 सिवायचक खातें में है। खसरा नम्बर 5269 ग्राम पंचायत के खातें में दर्ज है जो चरागाह है। तहसीलदार नसीराबाद द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के पास आवागमन हेतु अन्य कोई मार्ग नही है। तहसीलदार नसीराबाद द्वारा मार्ग दिये जाने की अनुशंषा की गयी है। प्रार्थी की खातेदारी आराजी के चारों ओर खाई खुदी हुयी है। जिन खसरा नम्बर में से रास्ता चाहा गया है वह रिक्त है। मुख्य सडक व खसरा नम्बर 6383 के बीच में खसरा नम्बर 5269 है जिसकी किस्म चरागाह है। प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत देराठू को प्रकरण में पक्षकार नही बनाया है। धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में चरागाह भूमि में से रास्ता दिये जाने का प्रावधान नही है। प्रार्थना पत्र में अंकित शेष खसरा नम्बर 6383 व 6382 सिवायचक [illegible] है। खसरा नम्बर 5269 चरागाह होने के कारण प्रार्थी उक्त आराजी में से [illegible] प्राप्त करने का अधिकारी नही है। राजस्थान सरकार राजस्व ग्रुप [illegible] क्रमांक [illegible] प. [illegible] राज—3/2022 दिनांक 03.02.2023 के अनुसार चरागाह [illegible] भूमि [illegible] के तहत भी निजी खातेदार को मार्ग नही दिया जा सकता है। शेष खसरा नम्बर [illegible] सिवायचक होने के कारण प्रार्थी सिवायचक खसरा नम्बर पर रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थना पत्र पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 16:36:04 IST
Reason: SelfAttested

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

उपलब्ध दस्तावेज व मौका रिपोर्ट से रास्ते की आत्यतिंक आवश्यकता भी सिद्व होती है। प्रार्थी द्वारा 30 फिट रासता चाहा है किन्तु कृषि कार्य हेतु 15 फिट रास्ता पर्याप्त है। अतः प्रार्थी 15 फिट चौडा रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी है।

उक्तानुसारः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। ग्राम देराठू के हाल खसरा 6382 में से 36 वर्ग मीटर व खसरा नम्बर 6383 में से 31 वर्ग मीटर (15 फिट चौडा) रास्ता दिये जाने के आदेश जारी किये जाते है। तहसीलदार नसीराबाद रास्ते की भूमि के बदले 17109/रूपये अक्षरे सतरह हजार एक सौ नो रूपये राजकोष में भुगतान होने के बाद उक्त भूमि गै.मु. रास्ता सिवायचक खातें में दर्ज करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 16:36:04 IST
Reason: SelfAttested